न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —05 / 2018 अपील आर्म्स (RCMS/2018/00136)
पंजीयन दिनांक —27.08.2018
निर्णय दिनांक —04.12.2018

1. श्री सन्नी बामनिया पिता स्व. श्री सुरेश बामनिया, निवासी वाडियों का डूंगरा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा — राजकीय अधिवक्ता

अपील अन्तर्गत धारा—18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर
आदेशदिनांक 18.05.2018

निर्णय

दिनांक 04.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा—18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर आदेश दिनांक 18.05.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि स्वर्गीय श्री सुरेश बामनिया पिता स्व. श्री भीखा भाई, निवासी वडियों का डूंगरा, पुलिस थाना सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर के नाम से आर्म्स लाईसेंस नम्बर 02 / 2001 / डीएम / डीपीआर, लाईसेंसधारी की मृत्यु होने उपरान्त उसके पुत्र अपीलार्थी श्री सन्नी बामनिया पिता स्व. श्री सुरेश बामनिया, निवासी वाडियों का डूंगरा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर ने नियम 51 के तहत शस्त्र अनुज्ञा हेतु आवेदन जिला मजिस्ट्रेट डूंगरपुर के समक्ष पेश किया। अपीलार्थी ने आवेदन की आवश्यक सभी नियमों का पालन करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किए।

जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 18.05.2018 से उक्त लाईसेंस पूर्व में निलम्बित होने से उत्तराधिकार नीति के तहत लाईसेंस जारी नहीं किये जाने से आवेदन पत्र निरस्त किया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर की पत्रावली मंगवाई गयी। प्रत्यर्थी को सुचित किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने लिखित बहस में बताया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा) जोन, उदयपुर से दिनांक 28.03.2013 को रिपोर्ट चाही गई जिस पर जांच कर रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें आवेदक का संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होना नहीं पाया गया। सन्नी की माता द्वारा सहमति पत्र जारी किया गया। उपवन संरक्षक, डूंगरपुर ने भी दिनांक 17.05.2017 को लाईसेंस जारी करने में अनापत्ति प्रदान की। उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा द्वारा भी लिख दिया गया कि आवेदक को नियमानुसार रिवाल्वर लाईसेंस का स्थानान्तरण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा लाईसेंस निलम्बन के आधार पर आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया जो काबिल निरस्त के है। प्रार्थी को सुने बिना एवं बिना सूचना दिये आदेश पारित किया गया। सभी विभागों से प्राप्त अनापत्ति दिये जाने उपरान्त भी इन पर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर का आदेश निरस्त कर प्रार्थी के नाम अपने पिता लाईसेंस जारी करने के आदेश प्रदान कराने बाबत अनुरोध किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पुलिस थाना सागवाड़ा में जमा शस्त्रों की प्राप्ति रसीद अनुसार उक्त लाईसेंस पूर्व में निलम्बित किया गया। जिसे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तक बहाल नहीं किया गया जिससे उत्तराधिकार नीति के तहत लाईसेंस जारी नहीं किया जा सकता। अतः जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने का निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात हम इस

निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा सम्बन्धित विभागों से जांच रिपोर्ट मांगी गई। उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा, उप वन संरक्षक, डूंगरपुर, थानाधिकारी, पुलिस थाना, सागवाड़ा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (वि.शा.) जोन, उदयपुर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने बाबत अपनी अनापत्ति दी गई। आवेदक का संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होना नहीं पाया गया। आदेश दिनांक 18.05.2018 पारित करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा सम्बन्धित विभागों से प्राप्त रिपोर्ट एवं अनापत्ति जारी करने पर विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है, जिससे प्रकरण में नये सिरे से पुनः जांच कर अथवा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर का आदेश दिनांक 18.05.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर पुनः विचार कर, विभिन्न रिपोर्ट, गृह विभाग के निर्देशों का अवलोकन कर, इनकी पात्रता अनुसार स्वीकृत कर नियमानुसार अनुज्ञा पत्र जारी करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर